


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1098)/2018/ दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 1023 दिनांक 12.07.2016 द्वारा श्रीमती दीपा मुलानी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुचील, खण्ड किशनगढ़ (जिला अजमेर) को स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत दिनांक 04.05.2018 से 03.11.2018 तक 184 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1098)/2018/1691

दिनांक:- 02/08/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पाली।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ़ (अजमेर)।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर